राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 10, गुरुवार, शाके 1934–मई 31, 2012
Jyaistha 10, Thursday, Saka 1934–May 31, 2012

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्थानीय स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचनायें

जयपुर, मई 31, 2012

संख्या प.3(50)नविवि/3/2012 :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 90–क की उप–धारा (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है जिसके समक्ष उक्त अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उक्त उप–धारा (9) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जावेगी।

जयपुर, मई 31, 2012

संख्या प.3(50)नविवि/3/2012 :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 90–क की उप–धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है :–

क्र. सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	अधिकारी का पद नाम
1.	जयपुर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण	जयपुर विकास प्राधिकरण या यथास्थिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित संबंधित क्षेत्र का उपायुक्त
2.	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाडा और भिवाडी	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा या यथास्थिति, भिवाडी में पदस्थापित उप सचिव और विशेषाधिकारी
3.	नगर सुधार न्यास श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर और आबू	नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर या यथास्थिति, आबू का सचिव
4.	समस्त नगरपरिषदें (उदयपुर, अलवर, भीलवाडा, भरतपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर को छोड़कर)	नगर परिषद् में पदस्थापित संबंधित क्षेत्र का आयुक्त
5.	समस्त नगरपालिका मण्डल (भिवाड़ी, आबू रोड़, आबू पर्वत, चौमूं और बगरू को छोड़कर)	संबंधित नगरपालिका मण्डल का अधिशासी अधिकारी

जयपुर, मई 31, 2012

संख्या प.3(50)नविवि/3/2012 :– राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम, 2012 के नियम 7 के उप–नियम (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके समुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को ऐसे अधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है जिन्हें उक्त नियम 7 के उप–नियम (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी निश्चित् कालावधि के पश्चात् लम्बित प्रकरणों को प्रस्तुत करेंगे :–

क्र. सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	अधिकारी का पद नाम
1	2	3
1.	जयपुर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण	जयपुर विकास प्राधिकरण, या यथास्थिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण का सचिव

1	2	3
2.	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, या यथास्थिति, भिवाड़ी का सचिव
3.	अध्यक्ष न्यास श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर और आबू	नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर या यथास्थिति, आबू का अध्यक्ष
4.	संबंधित नगरपरिषदें (उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर को छोड़कर)	स्थानीय निकाय विभाग का संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक
5.	संबंधित नगरपालिका मण्डल (भिवाड़ी, आबू रोड, आबू पर्वत, चौमूं और बगरू को छोड़कर)	स्थानीय निकाय विभाग का संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक

राज्यपाल की आज्ञा से,
आर. के. पारीक,
शासन उप सचिव (द्वितीय),
नगरीय विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।